[लोक सभा द्‌वारा 27 दिसम्बर, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 269-सी

[दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)
अधिनियम, 2017 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद्‌ द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 2 सितंबर, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अनुसूची का संशोधन ।

2. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की अनुसूची में,-- 2017 का 15

(i) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"4क	चालक सहित तेरह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान ।	8702 10, 8702 20, 8702 30 या 8702 90	मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत ।";

(ii) क्रम संख्या 5 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 को निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा । 2017 का 15

GMGIPMRND—3214LS(CRC)—27-12-2017.